न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

[illegible]/2024   दिनांक– [illegible]/2024

[illegible]

तहसीलदार जहाजपुर

विषय– प्र.स. 29/2024 अन्तर्गत गोविन्द पुत्र भूराना नाई निवासी लाल का खेड़ा बनाम प्यार पुत्र गोकुल नाई निवासी लाल का खेड़ा, श्याम लाल पिता गोकुल नाई निवासी लाल का खेड़ा, दुर्गा लाल पिता गोकुल नाई निवासी लाल का खेड़ा, जगदीश पिता कन्हैयालाल नाई निवासी लाल का खेड़ा, सत्यनारायण पिता भूराना नाई निवासी लाल का खेड़ा, सोनिया पत्नी सन्तोष मीणा निवासी नाथून, तहसीलदार जहाजपुर [illegible] की पत्थरगढ़ी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के प्रकरण में ग्राम लाल का खेड़ा, पह. लाल का खेड़ा आराजी सं. 149, 151, 152, 153, 154,165 कुल किता 06 रकबा 2.7781 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक [illegible] को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, जिसमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 दिन में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गोविन्द पुत्र भूवाना नाई निवासी लाल का खेडा

बनाम

प्यारा पुत्र गोकुल नाई निवासी लाल का खेडा वगैरह

मुकदमा नंबर 294/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लाल का खेडा, प.ह. लाल का खेडा आराजी सं. 149, 151, 152, 153, 154,165 कुल किता 06 रकबा 2.7761 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम लाल का खेडा, प.ह. लाल का खेडा आराजी सं. 149, 151, 152, 153, 154,165 कुल किता 06 रकबा 2.7761 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 300रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	